संख्या-14/2021/135/12-5-2021/ब-4/2019

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तषर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 05 मार्च, 2021

विषय- कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-06 अन्य भत्ता एवं मानक मद संख्या-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधान न होने के कारण अतिरिक्त धनराशि रू.4.42 लाख के पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-2116/2020-21/कृ0आं0सु0/पुनर्विनियोग, दिनांक 25-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार योजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता में रू.0.20 लाख एवं मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू.4.22 लाख, कुल रू.4.42 लाख (रूपये चार लाख बयालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3. बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

4. जिस मद हेतु वस्तुत: धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य न होगा।

5. पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्वश आपका होगा।

6. अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

8. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार योजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता एवं मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के नामे डाला जायेगा।

7. वित्तत (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-14/2021/135(1)/12-5-2021-ब-4/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी, प्रथम/द्वितीय,) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी(एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–156)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

प्रपत्र–बी(एम0–9

अनुदान संख्या व नाम–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

वित्तीय वर्ष 2019–20

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2401–फसल कृषि कर्म 111–कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 03–कृषि आकड़ों मे सुधार हेतु प्रायोजना 01–वेतन	1228.56	4.42	4.42	4.42	1224.14
योग	1228.56	4.42	4.42	4.42	1224.14

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (2–5) 8+11
7	8	9	10	11	12
2401–फसल कृषि कर्म 111–कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 03–कृषि आंकड़ों में सुधार योजना 06–अन्त भत्ता 52–पुनरिक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00 0.00	0.20 4.22	0.20 4.22	0.20 4.22	0.20 4.22
योग	0.00	4.42	4.42	4.42	4.42

(रु. चार लाख बयालिस हजार मात्र)

(1) स्तम्भ–2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है–
वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में वास्तविक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुर्क्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघन नही होता है।

संख्या–आ(ई0– 354/ई-1-25-दस–2020, दिनांक 6/12/2021

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

(पूर्णिमा बेदरि श्रीवास्तव) 6/12/2021
अनु सचिव
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।